पत्रांक 2/वि1-99/2009 - 333

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त, झारखण्ड।
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखण्ड।
सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 15-3-18

विषय :- छात्रों को तम्बाकू के दूष्परिणाम से बचाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त घोषित करने के संबंध में।

महोदय,

उक्त के संबंध में तम्बाकू सेवन देश **में तेजी से बढ्ती स्वास्थ्य समस्या है।** हर साल **भारत में तम्बाकू सेवन** से होने वाली बीमारी से **12 लाख लोगों की मौत** हो रही है। तम्बाकू सेवन से सिर, गर्दन, गले और फेंफड़े के कैंसर के मामले सर्वाधिक हैं। सभी प्रकार के कैंसरों में तम्बाकू के सेवन से जुड़े **कैंसरों का हिस्सा 40 प्रतिशत है** एवं **90 प्रतिशत ऑरल कैंसर** तम्बाकू के प्रयोग से होते हैं।

आप अवगत होंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल हीं में प्रकाशित वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण **(GATS-2)** 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार झारखण्ड की 38.9 प्रतिशत वयस्क किसी न किसी रुप में तम्बाकू का सेवन करते है।

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि शैक्षणिक संस्थानों के परिसर एवं आस-पास तम्बाकू उत्पाद जैसे कि सिगरेट, बीडी पान मसाला, जर्दा एवं खैनी इत्यादि की बिक्री की जाती है। इससे कम आयु के युवाओं एवं छात्रों में धूम्रपान एवं तम्बाकू सेवन की लत को बढ़ावा मिलता है। ग्लोबल यूथ टैबैको सर्वे (2010) के अनुसार भारत में युवाओं द्वारा तम्बाकू सेवन से संबंधित जो आकड़ें संकलित किये गये हैं वह यह दर्शाता है कि **भारत में 13-15 वर्ष के 14.6 प्रतिशत अवयस्क, युवा एवं छात्र** किसी न किसी प्रकार के तम्बाकू का उपयोग कर रहे हैं। अवयस्कों एवं छात्रों को तम्बाकू उत्पाद की पहुंच से बचाने के लिए भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (COTPA-2003) की धारा-6 में यह प्रावधान है कि 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकता है साथ ही किसी भी शैक्षणिक संस्थान के आसपास 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध है।

तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा-2003) को लागू करने का मुख्य उद्देश्य कम उम्र के युवाओं एवं जन.समूह को तम्बाकू उत्पाद की पहुंच

से रोकना, इनको तम्बाकू की हानिकारक लत से रोकना तथा इसके परिष्करण को सीमित करना और इसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना है। इसके लिए राज्य तथा जिला स्तर पर कानून को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित तथा लागू करना अनिवार्य है। तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा, 2003) के धारा–6 बी0 के तहत प्रत्येक शिक्षण संस्थान (सरकारी एवं गैर सरकारी) के बाहर मुख्य द्वार पर वैधानिक चेतावनी का दीवार लेखन सुनिश्चित किया जाना है।

अतः निदेश दिया जाता है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तम्बाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, जर्दा, पान मसाला इत्यादि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए तथा सभी शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त घोषित करते हुए संलग्न साईनेज का दीवार लेखन सुनिश्चित करें। बोर्ड का प्रारुप पत्र के साथ संलग्न है। साथ ही अपने अधीनस्थ कार्यालयों को धूम्रपान मुक्त घोषित करते हुए धूम्रपान निषेध बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें। धूम्रपान निषेध बोर्ड का प्रारुप पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्त निदेश का शत–प्रतिशत अनुपालन करते हुए तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत किए जा रहे कृत कार्रवाई का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को देना सुनिश्चित करेंगे, एवं मासिक समिक्षात्मक बैठक में इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे गतिविधियों की समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

15/03/18

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

333

ज्ञापांकः----------/ राँची, दिनांक :---15-3-18---/

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकॉनोमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी, (सीड्स) झारखण्ड को सूचनार्थ एवं जिलों से समन्वय स्थापित कर तकनिकी सहयोग देने हेतु प्रेषित।

15/03/18

प्रधान सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
झारखण्ड सरकार।

- तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 6बी0 के बोर्ड का प्रारुप निम्नांकित है :–

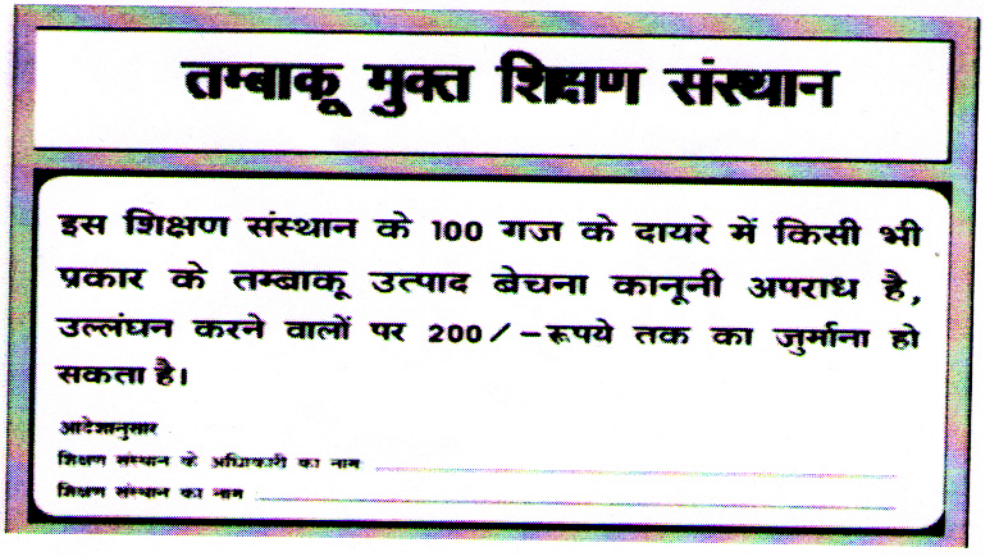

- तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4 के धूम्रपान निषेध बोर्ड का प्रारुप निम्नांकित है :–